माननीय न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल के समक्ष,

प्रतिभा और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

नंदी देवी और अन्य-प्रतिवादी

2016 का आरएसए नंबर 1184

27 नवंबर 2018

(ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - एस.एस. 62 और 63 - पंजीकृत वसीयत - उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी गई - प्राथमिक साक्ष्य - पंजीकृत वसीयतनामा की दूसरी प्रति - मूल वसीयतनामा की सभी विशेषताएं हैं - प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक नहीं - अनुबंध की दो मूल प्रतियां तैयार की गईं और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित - प्रत्येक प्रति होगी प्राथमिक साक्ष्य बनें

अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्याय V दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है जबकि धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य को परिभाषित करती है।

(पैरा 15)

इसके अलावा, धारा 62 को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जहां एक दस्तावेज़ को समकक्ष में निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष को केवल एक या कुछ पार्टियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष इसे निष्पादित करने वाली पार्टियों के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य है। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम वर्ष 1872 में लागू हुआ। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि प्राथमिक साक्ष्य वह दस्तावेज़ है जो स्वयं न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज़ का एक प्रति भाग जिसे सभी पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है, प्राथमिक साक्ष्य होगा। पंजीकृत वसीयतनामा की दूसरी प्रति जिसमें मूल वसीयतनामा की सभी विशेषताएं मौजूद हैं, प्राथमिक साक्ष्य है न कि द्वितीयक साक्ष्य। इस मामले की दूसरे एंगल से भी जांच की जा सकती है. यदि अनुबंध की दो मूल प्रतियां पार्टियों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाती हैं, तो प्रत्येक प्रति एक प्राथमिक साक्ष्य होगी और एक प्रति को प्राथमिक और दूसरी को माध्यमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुबंध की दोनों प्रतियां अपने आप में पूर्ण हैं और इसलिए, दोनों प्रतिलिपियाँ प्राथमिक साक्ष्य हैं।

(पैरा 16)

(बी) उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - वसीयत - संदिग्ध परिस्थितियां - एक बार वसीयत का निष्पादन साबित हो जाने के बाद - जिरह में गवाह को प्रमाणित करने से थोड़ा सा विचलन होने पर न्यायालय द्वारा वसीयत की अनदेखी नहीं की जाएगी - न्यायालय संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर वसीयत/वसीयत को नजरअंदाज कर सकता है - होना चाहिए वास्तविक का कुछ आधार होता है, अनुमानों और धारणाओं पर आधारित नहीं - अदालतों को आम तौर पर एक बार निष्पादन सिद्ध हो जाने के बाद वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा घोषित नहीं करना चाहिए -।

अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार अधिक प्रामाणिकता प्रदान करने और वसीयत की किसी भी जालसाजी से बचने के लिए, क़ानून में प्रावधान किया गया है कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी। वसीयत को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पंजीकृत वसीयत की

शुद्धता सुनिश्चित की जा सके जिसमें वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों की तस्वीरों की छपाई के साथ-साथ वसीयत की दो प्रतियां तैयार करना भी शामिल है। प्रत्येक प्रति अपने आप में पूर्ण है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पंजीकृत वसीयत की वास्तविकता को साक्ष्य देने वाले गवाहों की दया और समर्थन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। एक बार जब वसीयत का निष्पादन साबित हो जाता है, तो जिरह में प्रमाणित गवाह द्वारा मामूली विचलन के परिणामस्वरूप न्यायालय वसीयत की अनदेखी नहीं करेगा।

(पैरा 18)

अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी वसीयत/वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है। हालाँकि, उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियाँ कुछ आधार वाली वास्तविक होनी चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियाँ केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकतीं। वसीयत एक गंभीर घोषणा है जो एक वसीयतकर्ता ने लिखित रूप में अपनी संपत्ति को एक विशेष तरीके से करने के लिए वसीयत की है और अदालतों को आम तौर पर वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ घोषित नहीं करना चाहिए जब उसका निष्पादन साबित हो जाता है।

(पैरा 19)

अपीलकर्ताओं की ओर से शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुपमा, अधिवक्ता।

अरुण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादियों के वकील अभिषेक ढुल के साथ।

माननीय न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल (मौखिक)

(1) वादी-अपीलकर्ता स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए उनके मुकदमे को खारिज करने वाले नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के खिलाफ नियमित दूसरी अपील में हैं।

(2) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए उठते हैं: -

1. क्या उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी गई वसीयतकर्ता और उप-रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित गवाहों के हस्ताक्षर और तस्वीरों वाली एक पंजीकृत वसीयत प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य है?

2. क्या पंजीकृत वसीयत के तहत उत्तराधिकार को गवाहों के हाथों अपहरण/पराजित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. क्या कथित संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर एक पंजीकृत वसीयत को नजरअंदाज करने से पहले, न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियों की नींव साक्ष्य के बाद की गई दलील में रखी गई है और मुकदमा आरोप लगाता है कि संदिग्ध परिस्थितियां वास्तविक हैं और आधारित नहीं हैं अनुमानों और अनुमानों पर?

(3) वर्तमान मामले में विवाद करम सिंह चौहान की संपत्ति के संबंध में है जिनकी 27.09.2002 को मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे एक विधवा, एक बेटा-सुरेश और चार दाऊ छोड़ गये अर्थात् नीना, सुनीता, अनितो और कांता। सुरेश ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 16.09.2006 को वादी-अपीलकर्ता संख्या 1-प्रतिभा के साथ शादी की और 10.10.2007 को विवाहित जोड़े की एक बेटी रेशू का जन्म हुआ। 06.06.2008 को सुरेश की मृत्यु हो गई। सुरेश की विधवा और सुरेश से उसकी नाबालिग बेटी वादी-अपीलकर्ताओं का दावा है कि करम सिंह चौहान ने 16.08.2002 को अपने बेटे-सुरेश के पक्ष में

एक पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया था और इसलिए, वह पैरा 5 (i) में वर्णित संपत्ति की मालिक है) (ii) और (iii)। वादी का दावा है कि उसने पहले 1/6 हिस्से का दावा करते हुए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था, लेकिन बाद में उसे वसीयत के बारे में पता चला और इसलिए, उसने 05.09.2008 को नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा वापस ले लिया और वर्तमान मुकदमा दायर किया गया। 09.09.2008. आगे यह दलील दी गई है कि वसीयत उसकी सास यानी प्रतिवादी नंबर 1 के कब्जे में हो सकती है। उन्होंने वसीयत को नजरअंदाज कर प्राकृतिक उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति के उत्परिवर्तन को भी चुनौती दी।

(4) प्रतिवादियों ने मुकदमा लड़ा और दिनांक 16.08.2002 की वसीयत के अस्तित्व से इनकार किया।

(5) मुद्दों को तैयार करने के बाद, पार्टियों को सबूत पेश करने की अनुमति दी गई। वह अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित हुईं और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय के अधिकारी से भी पूछताछ की, जिन्होंने 16.08.2002 के पंजीकृत वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति साबित की। अधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि वह तलब किया गया रिकॉर्ड लेकर आई हैं। उन्होंने वसीयत के गवाह भोपाल सिंह से भी पूछताछ की, जिन्होंने वसीयत साबित की। ज्ञातव्य है कि दिनांक 21.12.2010 को भोपाल सिंह द्वारा मुख्य परीक्षा में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर जिरह को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, भोपाल सिंह जिरह के लिए अदालत में उपस्थित होने से बचने लगे और वह लगभग दो साल की अवधि के बाद जिरह के लिए उपस्थित हुए और वसीयत की शुद्धता के बारे में संदेह पैदा करने का प्रयास किया। फैसले के बाद के हिस्से में उनके सबूतों पर चर्चा की जाएगी।

(6) वसीयत दो प्रमाणित गवाहों द्वारा प्रमाणित है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 की आवश्यकता के अनुसार भोपाल सिंह और सतीश कुमार, लेकिन सतीश कुमार साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुए हैं।

(7) दोनों न्यायालयों ने वादी द्वारा दायर मुकदमे को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रमाणित गवाह ने जिरह में कहा है कि वसीयतकर्ता करम सिंह चौहान संपत्ति को अपने नाम करना चाहता था। बेटा और बेटियाँ. न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि वादी के बयान में इस तथ्य के संबंध में थोड़ा विरोधाभास है कि उसे पंजीकृत वसीयत के बारे में कब पता चला क्योंकि उसने निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसे दायर करने की अनुमति के साथ वापस ले लिया गया था। नया व्यक्ति संपत्ति में केवल 1/6वें हिस्से का दावा कर रहा है।

(8) प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसे विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था।

(9) 14.11.2018 को, कुछ विस्तार से दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने उप-रजिस्ट्रार को पंजीकृत वसीयत की प्रविष्टि वाले मूल रजिस्टर पर गर्व करने का निर्देश देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया था: -

"पंजीकृत वसीयत की वैधता विवाद में है। मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि, उसकी प्रमाणित प्रति उप-रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय से परीक्षित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने प्रमाणित किया कि सत्यापित प्रति मूल की सही प्रति है। वसीयत वर्ष 2002 में पंजीकृत की गई थी। इस विवाद को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए, उप-रजिस्ट्रार, सोनीपत को उस रजिस्टर को प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित माना जाता है जिसमें वसीयत का पंजीकरण नोट किया गया है।

विद्वान राज्य वकील, जो न्यायालय में उपस्थित हैं, से अनुरोध है कि वे एक अधिकारी को तैनात करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करें जो मूल बही यानी बही नंबर 3 पंजीकृत नंबर 249 दिनांक 16.08.2002, जिल्द नंबर 18, पृष्ठ 111 और 112 लाएगा। .

(10) निर्देश के जवाब में, मूल रजिस्टर प्रस्तुत किया गया था और यह नोट किया गया था कि जो प्रति रजिस्टर में चिपकाई गई है वह वसीयत की सभी विशेषताओं को पूरा करती है क्योंकि वसीयतनामा पर निष्पादक के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है। निष्पादनकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों की तस्वीरें होने के अलावा उप-रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत समर्थित प्रमाणित गवाह। मूल रजिस्टर को न्यायालय की हिरासत में रखा गया था और वसीयत की फोटोकॉपी पार्टियों के विद्वान वकील को प्रदान की गई थी और मामले को स्थगित कर दिया गया था।

(11) पंजीकरण अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, सभी पंजीकरण कार्यालयों में पुस्तक संख्या 3 वसीयत और अपनाने वाले प्राधिकारियों का रजिस्टर होगी। धारा 52 पंजीकरण अधिकारियों के कर्तव्यों से संबंधित है जब कोई दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और धारा 53, 54 और 55 इस बात से संबंधित है कि प्रविष्टियाँ कैसे की जानी हैं और सूचकांक कैसे तैयार किया जाना है। धारा 51 से 55 निम्नानुसार निकाली गई हैं: -

“51. अनेक कार्यालयों में रखी जाने वाली रजिस्टर-पुस्तकें

(1) निम्नलिखित पुस्तकें इसके बाद नामित कई कार्यालयों में रखी जाएंगी, अर्थात्: - ए - सभी पंजीकरण कार्यालयों में - पुस्तक 1, "अचल संपत्ति से संबंधित गैर-वसीयतनामा दस्तावेजों का रजिस्टर"। पुस्तक 2, "पंजीकरण से इनकार करने के कारणों का रिकॉर्ड"। पुस्तक 3, "वसीयत और गोद लेने के प्राधिकारियों का रजिस्टर", और पुस्तक 4, "विविध रजिस्टर"। बी-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में-पुस्तक 5, "वसीयत की जमा राशि का रजिस्टर"।

(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18 और 89 के तहत पंजीकृत सभी दस्तावेज या ज्ञापन दर्ज या दाखिल किए जाएंगे जो अचल संपत्ति से संबंधित हैं, और वसीयत नहीं हैं।

(3) पुस्तक 4 में धारा 18 के खंड (डी) और (एफ) के तहत पंजीकृत सभी दस्तावेज दर्ज किए जाएंगे जो अचल संपत्ति से संबंधित नहीं हैं।

(4) इस अनुभाग में किसी भी चीज़ को पुस्तकों के एक से अधिक सेट की आवश्यकता नहीं माना जाएगा जहां रजिस्ट्रार का कार्यालय उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है।

52. दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय पंजीकरण अधिकारियों के कर्तव्य.—

(एल) (ए) प्रस्तुति का दिन, समय और स्थान, 57 [धारा 32ए के तहत लगाए गए फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान] और पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ पेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ पर पृष्ठांकित किए जाएंगे। इसे प्रस्तुत करना;

(बी) ऐसे दस्तावेज़ की रसीद पंजीकरण अधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी; और

(सी) धारा 62 में निहित प्रावधानों के अधीन, पंजीकरण के लिए स्वीकार किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ को उसके प्रवेश के क्रम के अनुसार अनावश्यक देरी के बिना विनियोजित पुस्तक में कॉपी किया जाएगा।

(2) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अंतराल पर और ऐसे तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो समय-समय पर महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

53. प्रविष्टियों को लगातार क्रमांकित किया जाएगा - प्रत्येक पुस्तक में सभी प्रविष्टियों को एक लगातार श्रृंखला में क्रमांकित किया जाएगा, जो वर्ष के साथ शुरू और समाप्त होगी, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक नई श्रृंखला शुरू की जाएगी।

54. वर्तमान अनुक्रमणिकाएं और उनमें प्रविष्टियां.-प्रत्येक कार्यालय में जहां यहां पहले उल्लिखित कोई भी पुस्तकें रखी जाती हैं, वहां ऐसी पुस्तकों की सामग्री की वर्तमान अनुक्रमणिकाएं तैयार की जाएंगी; और ऐसी अनुक्रमणिकाओं में प्रत्येक प्रविष्टि, जहां तक संभव हो, पंजीकरण अधिकारी द्वारा उस दस्तावेज़ की प्रतिलिपि बनाने, या उसका ज्ञापन दाखिल करने के तुरंत बाद की जाएगी, जिससे वह संबंधित है।

55. पंजीकरण अधिकारियों द्वारा बनाई जाने वाली अनुक्रमणिकाएं और उनकी सामग्री.—

(1) सभी पंजीकरण कार्यालयों में ऐसे चार सूचकांक बनाए जाएंगे और उनके नाम क्रमशः सूचकांक क्रमांक I, सूचकांक क्रमांक II, सूचकांक क्रमांक III और सूचकांक क्रमांक IV होंगे।

(2) इंडेक्स नंबर I में बुक नंबर 1 में दर्ज किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ या दायर किए गए ज्ञापन के तहत निष्पादन करने वाले और दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और परिवर्धन शामिल होंगे।

(3) सूचकांक संख्या II में ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ और ज्ञापन से संबंधित धारा 21 में उल्लिखित ऐसे विवरण शामिल होंगे जैसा कि महानिरीक्षक समय-समय पर उस ओर से निर्देशित करते हैं।

(4) सूचकांक संख्या III में पुस्तक संख्या 3 में दर्ज प्रत्येक वसीयत और प्राधिकार को क्रियान्वित करने वाले सभी व्यक्तियों और उसके तहत नियुक्त क्रमशः निष्पादकों और व्यक्तियों के नाम और परिवर्धन शामिल होंगे, और वसीयतकर्ता या दाता की मृत्यु के बाद (लेकिन) इससे पहले नहीं) इसके अंतर्गत दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और परिवर्धन।

(5) सूचकांक संख्या IV में निष्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों और पुस्तक संख्या 4 में दर्ज प्रत्येक दस्तावेज़ के तहत दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और परिवर्धन शामिल होंगे।

(6) प्रत्येक सूचकांक में ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे, और ऐसे रूप में तैयार किए जाएंगे, जैसा कि महानिरीक्षक समय-समय पर निर्देश देते हैं।

(12) जो रजिस्टर तैयार किया गया है वह पंजीकरण अधिनियम की धारा 51 के अनुसार पंजीकरण कार्यालय द्वारा रखी गई पुस्तक संख्या 3 है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वसीयत जिस पर वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर और तस्वीरें हैं और उपरोक्त वसीयत उप-रजिस्ट्रार, सोनीपत द्वारा विधिवत पंजीकृत है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया कि जिस समय वसीयत पंजीकृत की गई थी, उस समय बिल्कुल एक जैसी दो मूल वसीयतें पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गईं और दोनों मूल हैं। दोनों प्रतियों में, निष्पादक और प्रमाणित गवाहों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और वसीयत पर तस्वीरें भी मुद्रित की जाती हैं। पंजीकरण के बाद, वसीयत की एक प्रति पुस्तक संख्या 3 में दर्ज की जाती है जबकि दूसरी प्रति निष्पादक को सौंप दी जाती है। वसीयत को बुक नंबर 3 में जिल नंबर 108, सीरियल नंबर 249 में चिपकाया गया है।

(13) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि मूल की सभी विशेषताओं वाली वसीयत की प्रति ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी पेश की गई थी, इसलिए, वह विद्वान प्रथम के समक्ष दायर अपने आवेदन पर जोर नहीं देते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अपीलीय न्यायालय।

(14) अब कानून के प्रश्नों पर विचार करने का मंच तैयार है।

प्रश्न क्रमांक 1

(i) क्या एक पंजीकृत वसीयत उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी गई है, जिसमें वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों के हस्ताक्षर और तस्वीरें हैं, जिस पर एसयू द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

बी-रजिस्ट्रार प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य है?

(15) साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्याय V दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है जबकि धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य को परिभाषित करती है। धारा 62 और 63 निम्नानुसार निकाली गई हैं: -

"62. प्राथमिक साक्ष्य.-

प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़।

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी दस्तावेज़ को कई भागों में निष्पादित किया जाता है, वहां प्रत्येक भाग दस्तावेज़ का प्राथमिक साक्ष्य होता है।

जहां किसी दस्तावेज़ को समकक्ष में निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष को केवल एक या कुछ पार्टियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष इसे निष्पादित करने वाली पार्टियों के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य होता है।

स्पष्टीकरण 2- जहां कई दस्तावेज़ एक समान प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि मुद्रण, लिथोग्राफी, या फोटोग्राफी के मामले में, प्रत्येक बाकी की सामग्री का प्राथमिक साक्ष्य है; लेकिन, जहां वे सभी एक ही मूल की प्रतियां हैं, वे मूल की सामग्री का प्राथमिक प्रमाण नहीं हैं।

63. द्वितीयक साक्ष्य- द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है-

(1) इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां;

(2) यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों की तुलना की जाती है।

(3) मूल से बनाई गई या उसकी तुलना की गई प्रतियां;

(4) उन पार्टियों के विरुद्ध दस्तावेजों के समकक्ष जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया;

(5) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेजों की सामग्री का मौखिक विवरण जिसने स्वयं इसे देखा है।

(16) धारा 62 को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जहां एक दस्तावेज़ को समकक्ष में निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष को केवल एक या कुछ पार्टियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक समकक्ष इसे निष्पादित करने वाली पार्टियों के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य है। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम वर्ष 1872 में लागू हुआ। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि प्राथमिक साक्ष्य वह दस्तावेज़ है जो स्वयं न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज़ का एक प्रति भाग जिसे सभी पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है, प्राथमिक साक्ष्य होगा। पंजीकृत वसीयतनामा की दूसरी प्रति जिसमें मूल वसीयतनामा की सभी विशेषताएं मौजूद हैं, प्राथमिक साक्ष्य है न कि द्वितीयक साक्ष्य। इस मामले की दूसरे एंगल से भी जांच की जा सकती है. यदि अनुबंध की दो मूल प्रतियां पार्टियों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाती हैं, तो प्रत्येक प्रति एक प्राथमिक साक्ष्य होगी और एक प्रति को प्राथमिक और दूसरी को माध्यमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुबंध की दोनों प्रतियां अपने आप में पूर्ण हैं और इसलिए, दोनों प्रतिलिपियाँ प्राथमिक साक्ष्य हैं।

(17) इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 2

(ii) क्या पंजीकृत वसीयत के तहत उत्तराधिकार को गवाहों के हाथों अपहरण/पराजित करने की अनुमति दी जा सकती है?

(18) उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार, वसीयत को अधिक प्रामाणिकता प्रदान करने और किसी भी जालसाजी से बचने के लिए, क़ानून में प्रावधान किया गया है कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी। वसीयत को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पंजीकृत वसीयत की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके जिसमें वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों की तस्वीरों की छपाई के साथ-साथ वसीयत की दो प्रतियां तैयार करना भी शामिल है। , प्रत्येक प्रति अपने आप में पूर्ण है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, पंजीकृत वसीयत की वास्तविकता को साक्ष्य देने वाले गवाहों की दया और समर्थन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। एक बार जब वसीयत का निष्पादन साबित हो जाता है, तो जिरह में प्रमाणित गवाह द्वारा मामूली विचलन के परिणामस्वरूप न्यायालय वसीयत की अनदेखी नहीं करेगा। तदनुसार, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 3

(i) क्या कथित संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर एक पंजीकृत वसीयत को नजरअंदाज करने से पहले, न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियों की नींव साक्ष्य के बाद की गई दलील में रखी गई है और मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि संदिग्ध परिस्थितियां वास्तविक हैं और नहीं अनुमानों और अनुमानों पर आधारित?

(19) निस्संदेह, किसी वसीयत/वसीयत को संदेहास्पद परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जा सकता है। हालाँकि, उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियाँ कुछ आधार वाली वास्तविक होनी चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियाँ केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकतीं। वसीयत एक गंभीर घोषणा है जो एक वसीयतकर्ता ने लिखित रूप में अपनी संपत्ति को एक विशेष तरीके से करने के लिए वसीयत की है और अदालतों को आम तौर पर वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ घोषित नहीं करना चाहिए जब उसका निष्पादन साबित हो जाता है।

(20) तदनुसार, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया जाता है।

(21) अब हम यह जांच करेंगे कि वर्तमान मामले में करम सिंह चौहान द्वारा दिनांक 16.08.2002 को निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा कानून के अनुसार सिद्ध है या नहीं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में प्रावधान है कि एक प्रमाणित गवाह की परीक्षा पर्याप्त है यदि गवाह ने यह साबित कर दिया है

वह उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत का निष्पादन करता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 निम्नानुसार निकाली गई है: -

“68. कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।—

यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया हो, यदि कोई प्रमाणित गवाह जीवित हो, और प्रक्रिया के अधीन हो। न्यायालय और साक्ष्य देने में सक्षम:

[बशर्ते कि किसी दस्तावेज़ के निष्पादन के सबूत में एक प्रमाणित गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो वसीयत नहीं है, जो कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जब तक कि जिस व्यक्ति द्वारा इसे निष्पादित किया जाना बताया जाता है उसके द्वारा इसके निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है]।”

(22) वर्तमान मामले में, एक प्रमाणित गवाह भोपाल सिंह पीडब्लू-4 के रूप में पेश हुआ है। एग्जामिनेशन-इन-चीफ में प्रस्तुत अपने हलफनामे में उन्होंने कहा है कि निष्पादक पूरे होश में था और सब कुछ सुन और समझ सकता था। उन्होंने कहा है कि वसीयतकर्ता करम सिंह को वसीयत की सामग्री को पढ़ा गया और समझाया गया और उसके बाद वसीयतकर्ता ने दूसरे गवाह सतीश कुमार सहित उनकी उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान लगाया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले दोनों गवाह उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय गए, जहां कंप्यूटर के माध्यम से उनकी तस्वीरें खींची गईं और उप-रजिस्ट्रार की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए गए। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने वसीयतकर्ता करम सिंह को व्यक्तिगत परिचित होने के कारण पहचाना। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब वह साक्ष्य में उपस्थित हुए, तो उन्होंने वसीयत के निष्पादन की शुद्धता पर विवाद नहीं किया, लेकिन क्रॉस में कहा कि करम सिंह ने उनसे कहा था कि वह संपत्ति अपने बेटे और बेटियों को देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वसीयत का मसौदा उनके आने से पहले तैयार किया गया था और इसे उनकी उपस्थिति में नहीं पढ़ा गया था। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने इस धारणा के तहत वसीयत पर हस्ताक्षर किए कि वसीयत बेटे और बेटियों के पक्ष में है।

(23) उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में केवल यह प्रावधान है कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित होगी। वर्तमान मामले में, वसीयत दो गवाहों द्वारा प्रमाणित है। मुख्य परीक्षण में, भोपाल सिंह साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकता को पूरा करते हैं। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि भोपाल सिंह ने यह नहीं कहा है कि अन्य प्रमाणित गवाह ने उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे, तथापि, यह प्रस्तुतीकरण सही नहीं है क्योंकि अन्य प्रमाणित गवाह सतीश कुमार, निष्पादन के समय उपस्थित थे। विल एवं भोपाल सिंह ने विशेष रूप से कहा है कि तहसीलदार के समक्ष उनके अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर ले लिये गये हैं। वसीयत पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र व्यक्ति सतीश कुमार है क्योंकि अन्य लोगों के अंगूठे का निशान था। उनकी तस्वीर वसीयत के पिछले पन्ने पर छपी है, जहां उप-रजिस्ट्रार द्वारा समर्थन मौजूद है। इसलिए, धारा 68 का अनुपालन किया जाता है।

(24) अब आइए भोपाल सिंह द्वारा जिरह में दिए गए बयान के प्रभाव की जांच करें जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, सबसे पहले एक प्रमाणित गवाह को मौखिक साक्ष्य में छोटे बदलाव करके लाभार्थी के पक्ष में वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई संपत्ति के अधिकार को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, प्रमाणित करने वाले गवाह को केवल दस्तावेज़ को सत्यापित करना आवश्यक है और उसे दस्तावेज़ की सामग्री जानने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल सिंह द्वारा यह नहीं कहा गया है कि उन्हें नहीं पता था कि प्रमाणित किया जा रहा दस्तावेज एक वसीयतनामा दस्तावेज है। मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा था कि वसीयत को पढ़ लिया गया है और इसे करम सिंह को समझा दिया गया है, इसलिए जिरह में उनका साक्ष्य विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि वह एक अवधि के बाद जिरह के लिए उपस्थित हुए थे। लगभग दो वर्षों की सजा से स्पष्ट है कि वह प्रतिवादियों से प्रभावित था ताकि विधवा और नाबालिग बच्चे को संपत्ति से वंचित कर सके। कोर्ट को ऐसे तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड पर आए हैं।

(25) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि वसीयत के पहले पृष्ठ के पीछे का पृष्ठांकन भी कुछ भुगतान का संदर्भ दे रहा है और इसलिए, वसीयत साबित नहीं होती है। यह तर्क ग़लत है क्योंकि मुद्रित पृष्ठांकन वसीयत के साथ-साथ विक्रय विलेख, उपहार, गिरवी आदि के लिए सामान्य है और यही कारण है कि भुगतान के संबंध में पृष्ठांकन का भाग खाली छोड़ दिया गया है जबकि पृष्ठांकन का शेष भाग भर दिया गया है.

(26) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का अगला तर्क इस आशय का है कि वसीयतकर्ता की उम्र वसीयत में 60 वर्ष बताई गई है जबकि उसकी उम्र 84 से 85 वर्ष थी जैसा कि भोपाल सिंह ने स्वीकार किया है। यह ध्यान दिया जाएगा कि वसीयतकर्ता की उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, वसीयतकर्ता की तस्वीर

वसीयत पर मुद्रित की गई है औरइ। उस समय उनका बेटा सुरेश अविवाहित था, इसलिए उम्र के संबंध में भोपाल सिंह का बयान वसीयत को संदिग्ध नहीं बनाता।

(27) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिभा-वादी जब साक्ष्य में उपस्थित हुई तो उसने कहा कि उसे उसके पति द्वारा वसीयत दिखाई गई थी, इसलिए, 1/6वें हिस्से का दावा करने के लिए उसके द्वारा दायर पिछला मुकदमा स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वसीयत है वास्तविक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कोई कारण नहीं बताया गया है कि करम सिंह ने शेष प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की उपेक्षा क्यों की है।

(28) इस न्यायालय ने प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब प्रतिभा गवाही में पेश हुई तो उसने कहा कि जिरह के दौरान उसके पति ने उसे वसीयत दिखाई थी, हालांकि, गवाह के बयान को पूरा पढ़ा जाना चाहिए और जिरह के दौरान एक पंक्ति को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है/ पूरे बयान से अलग. उसने अपने वादपत्र के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में भी विशेष रूप से कहा है कि उसे पिछले मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अपने पति के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा के अस्तित्व के बारे में पता चला था। इसलिए, जिरह में एक पंक्ति के परिणामस्वरूप उसका दावा विफल नहीं होगा क्योंकि वसीयत का ज्ञान होने से पंजीकृत वसीयत की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

(29) विद्वान वकील के अगले तर्क के संबंध में, यह ध्यान दिया जाएगा कि वसीयतकर्ता करम सिंह ने अपनी चार बेटियों और पत्नी का विधिवत उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सभी चार बेटियों की शादी हो चुकी है और उन्होंने उनकी शादी में पर्याप्त दहेज/उपहार दिया है और वे खुशी-खुशी अपने-अपने ससुराल में रह रही हैं। उन्होंने वसीयत में यह भी कहा है कि उनके अन्य बच्चों का भी उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा. इसके अलावा, वह आगे अपनी पत्नी श्रीमती का भी जिक्र करते हैं। लेकिन नंदी ने कहा है कि उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वसीयत में लिखा है कि उनके पुत्र स्व. सुरेश उनकी बीमारी के दौरान उनकी सेवा कर रहा है और उनकी सेवाओं से खुश होकर वसीयत निष्पादित कर रहा है। वसीयत में स्वयं लिखा है कि वसीयत की सामग्री को पढ़ा और समझाया गया है और वह इसकी सत्यता को स्वीकार करते हैं।

(30) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय सही नहीं हैं और इसलिए, रद्द कर दिए गए हैं। हालाँकि, वादी अर्थात् स्वर्गीय श्री की विधवा और नाबालिग बच्चा। सुरेश कुमार अपनी मृत्यु के समय सुरेश कुमार द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में केवल 2/3 हिस्से के हकदार होंगे क्योंकि सुरेश कुमार की मां भी विधवा और बेटी के बराबर हिस्से की हकदार हैं।

(31) इसलिए, इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री होगी कि वादी-अपीलकर्ता विवाद में संपत्ति में 2/3 हिस्से की सीमा तक मालिक हैं, जबकि 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1-श्रीमती. नंदी देवी/प्रतिवादी नंबर के पास होगा।.

(32) फैसले की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालयों में इस निर्देश के साथ प्रसारित की जाए कि न्यायालयों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पंजीकरण अधिकारियों द्वारा रखी गई पुस्तक संख्या 3 में हस्ताक्षर वाला एक वसीयतनामा दस्तावेज है या नहीं। अंगूठे के निशान की मूल प्रति, साथ ही वसीयतकर्ता और प्रमाणित करने वाले गवाहों की तस्वीरें।

(33) अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(34) लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाया जाएगा।

(35) कोर्ट मास्टर को मूल रजिस्टर यानी बुक नंबर 3 को उचित रसीद के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा